न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2024 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2024/44

उनवान

राजेन्द्र पुत्र हरिप्रसाद जाति ब्राहाण निवासी कोटडी तहसील सांगोद

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद,जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल(अभिभाषक अपीलाण्ट)
2– सरकार पैरोकार

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार सांगोद आदेश दिनांक 4.10.2023 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी

संशोधित निर्णय दिनांकः– 13/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सांगोद के आदेश दिनांक 4.10.2023 के विरूद्व अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में न्यायालय द्वारा दिनांक 5.12.2025 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है किन्तु न्यायालय के आदेश दिनांक 5.12.2025 के कियात्मक खण्ड में टंकणीय त्रुटि से तहसीलदार कनवास अंकित हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर टंकणीय त्रुटि को दुरस्त करते हुए तहसीलदार कनवास के स्थान पर तहसीलदार सांगोद किये जाने के आदेश पारित फरमावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पर वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली न्यायालय के आदेश दिनांक 5.12.2025 के

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

कियात्मक खण्ड में टाईपिंग मिस्टेकवश तहसीलदार कनवास अंकित हो रहा है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5.12.2025 के कियात्मक खण्ड में तहसीलदार कनवास के स्थान पर तहसीलदार सांगोद पढा जावे शेष निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13|5|26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा